उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-14/2018/638/30-3-3018-06जीई/2016
लखनऊ : दिनांक 05 मार्च, 2018

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1980 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान (अधीनस्थ) सेवा
(प्रथम संशोधन) नियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1.(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान (अधीनस्थ) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2018 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

<table>
<tr><td rowspan="4">नियम-2 का संशोधन</td><td colspan="2">2- उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1980 जिसे आगे उक्त नियमावली के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-2 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-</td></tr>
<tr><td>स्तम्भ-1</td><td>स्तम्भ-2</td></tr>
<tr><td>विद्यमान नियम</td><td>एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम</td></tr>
<tr><td>सेवा की प्रास्थिति 2- उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान (अधीनस्थ) सेवा एक अधीनस्थ सेवा है जिसमें समूह ''ख'' और ''ग'' के पद सम्मिलित हैं।</td><td>सेवा की प्रास्थिति 2- उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान (अधीनस्थ) सेवा में समूह ''ख'' के पद समाविष्ट हैं।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">नये नियम-3(कक) 3(छछ) और 3(जज) का बढ़ाया जाना</td><td colspan="2">3- उक्त नियमावली में, नियम-3(क), 3(छ) और 3(ज) के पश्चात निम्नलिखित नियम-3(क क), 3(छ छ) और 3(ज ज) बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात :-</td></tr>
<tr><td colspan="2">3(क क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है,

3(छ छ) ''नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों'' का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित, अधिनियम के अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है ;

3(ज ज) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो ;</td></tr>
</table>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<table>
<tr><td>नियम-4 का संशोधन</td><td colspan="2">4- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में विद्यमान नियम-4 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-</td></tr>
<tr><td></td><td>स्तम्भ-1</td><td>स्तम्भ-2</td></tr>
<tr><td></td><td>विद्यमान नियम</td><td>एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम</td></tr>
<tr><td></td><td>सेवा का संवर्ग (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।
(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक कि उपनियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाय, परिशिष्ट "क" में दी गई है :
परन्तु :
(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे अस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, और
(दो) राज्यपाल समय-समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।</td><td>सेवा का संवर्ग (1) सेवा की सदस्य संख्या और उनमें पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।
(2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है :-
<table>
<tr><td rowspan="2">क्रम संख्या</td><td rowspan="2">पद का नाम</td><td colspan="3">पद की संख्या</td></tr>
<tr><td>स्थायी</td><td>अस्थायी</td><td>कुल</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1</td><td>यात्रीकर /मालकर अधिकारी</td><td>120</td><td>-</td><td>120</td></tr>
</table>
टिप्पणी - यात्रीकर/मालकर अधीक्षकों का पद दिनांक 03 मई, 2011 से सरकारी आदेश संख्या-1036/तीस-3-11-11जीई /11, दिनांक 03 मई, 2011 के द्वारा यात्रीकर/मालकर अधिकारी के पद में विलीन कर दिया गया है।
परन्तु :-
(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा : या
(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जैसा वह उचित समझें।</td></tr>
<tr><td>नियम-5 का संशोधन</td><td colspan="2">5- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में विद्यमान नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-</td></tr>
<tr><td></td><td>स्तम्भ-1</td><td>स्तम्भ-2</td></tr>
<tr><td></td><td>विद्यमान नियम</td><td>एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम</td></tr>
<tr><td></td><td>भर्ती का स्रोत
(1) यात्रीकर/मालकर अधिकारी</td><td>भर्ती का स्रोत
5(1) सेवा में पदों पर भर्ती निम्नलिखित</td></tr>
</table>

http://shasanadesh.up.nic.in

	(5)- सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्नलिखित श्रोतों से की जायेगी :- (एक) आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (दो) आयोग के माध्यम से निम्नलिखित में से पदोन्नति द्वारा :- (क) ऐसे स्थायी कर अधीक्षक/यात्रीकर/मालकर अधीक्षक, जिन्होंने उस रूप में कम से कम पॉच वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो ; (ख) ऐसे स्थायी सहायक सरकारी अभियोक्ताओं में से जिन्होंने उस रूप से कम से कम पांच वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो ; और (ग) परिवहन आयुक्त के कार्यालय के ऐसे स्थायी प्रधान सहायकों, प्रधान लिपिकों में से जिन्होंने उस रूप में कम से कम पांच वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो ; परन्तु भर्ती यथा सम्भव इस प्रकार की जायेगी कि संवर्ग के 50 प्रतिशत पद सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों द्वारा और शेष पद पदोन्नति किये गये व्यक्तियों द्वारा निम्न प्रकार धृत किये जांय :- (क) कर अधीक्षक/मालकर अधीक्षक - 40 प्रतिशत (ख) सहायक सरकारी अभियोक्ता - 5 प्रतिशत (ग) परिवहन आयुक्त के कार्यालय में प्रधान सहायक/ प्रधान लिपिक - 5 प्रतिशत (2) कर अधीक्षक- लोक सेवा आयोग के माध्यम से स्थायी यात्रीकर/मालकर अधीक्षक में से पदोन्नति द्वारा (3) यात्रीकर, मालकर अधीक्षक - (एक) आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (दो) आयोग के माध्यम से निम्नलिखित में से पदोन्नति द्वारा (क) परिवहन आयुक्त के कार्यालय के ऐसे स्थायी अनुभाग प्रभारी, उपलेखक, प्रालेखक और आशुलेखकों में से जिन्होंने उस रूप में कम से कम पांच वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो, और (ख) सम्भागीय परिवहन कार्यालयों के ऐसी स्थायी	स्रोतों से की जायेगी :- (एक) पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (दो) निम्नवत् मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों में से आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा :- (क) मुख्यालय से (20%) 20 प्रतिशत (एक) उन्नीस प्रतिशत, मुख्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। परन्तु यदि भर्ती के किसी वर्ष में, पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशासनिक अधिकारी उपलब्ध न हों तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रधान सहायकों, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, को सम्मिलित करने के लिए पात्रता के क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। (दो) एक प्रतिशत मुख्यालय पर तैनात मौलिक रूप से नियुक्त वैयक्तिक सहायक श्रेणी-एक में से जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। (ख) आंचलिक/क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों से (30%) तीस प्रतिशत। (एक) अठ्ठाइस प्रतिशत, आंचलिक कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। परन्तु यदि भर्ती के किसी वर्ष में, प्रशासनिक अधिकारी पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रधान सहायकों को, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली

http://shasanadesh.up.nic.in

	प्रधान लिपिकों, प्रधान लिपिक एवं लेखाकार और आशुलेखकों में से जिन्होंने उस रूप में कम से कम पांच वर्ष लगातार सेवा पूरी कर ली हो परन्तु भर्ती यथा सम्भव इस प्रकार की जायेगी कि संवर्ग में 50 प्रतिशत पद सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों द्वारा शेष पद पदोन्नति किये गये व्यक्तियों द्वारा निम्न प्रकार से धृत किये जायं : (क) अनुभाग प्रभारी और उप लेखक-प्रालेखक- 15 प्रतिशत (ख) परिवहन आयुक्त के कार्यालय के आशुलेखक - 07 प्रतिशत (ग) प्रधान लिपिक और प्रधान लिपिक एवं लेखाकार - 14 प्रतिशत (घ) सम्भागीय कार्यालयों के आशुलेखक- 14 प्रतिशत	हो, सम्मिलित करने के लिए पात्रता क्षेत्र में विस्तार किया जा सकता है। (दो) दो प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त वैयक्तिक सहायक श्रेणी-एक में से जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। (2) यदि प्रशासनिक अधिकारियों या प्रधान सहायकों में से कोई कनिष्ठ व्यक्ति पात्रता क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है तो उसका ज्येष्ठ व्यक्ति भी इस बात के होते हुये भी सम्मिलित किया जायेगा कि उसने स्वयं अपेक्षित अवधि की सेवा नहीं की है।
नियम-6 का प्रतिस्थापन	6- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-	
	स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
	विद्यमान नियम	एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
	आरक्षण 6- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।	आरक्षण 6- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा।
नियम-8 का संशोधन	7- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-	
	स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
	विद्यमान नियम	एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
	शैक्षिक अर्हताएं 8- सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कोई उपाधि होनी चाहिये और यह भी आवश्यक है कि वह देवनागरी लिपि में लिखित	शैक्षिक अर्हताएं 8- सेवा में यात्री/मालकर अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से

http://shasanadesh.up.nic.in

<table>
<tr><td></td><td>हिन्दी का पूर्ण ज्ञान रखता हो।</td><td>स्नातक डिग्री या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारक अवश्य होना चाहिए और देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का सम्यक् ज्ञान भी अवश्य होना चाहिए।</td></tr>
<tr><td rowspan="3">नियम-10 का संशोधन</td><td colspan="2">8- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-</td></tr>
<tr><td>स्तम्भ-1
विद्यमान नियम</td><td>स्तम्भ-2
एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम</td></tr>
<tr><td>आयु 10- भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञाप्ति किये जांय, और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञाप्ति किये जांय, 21 वर्ष की हो जानी चाहिये और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये :
परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु, सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।</td><td>आयु-10- सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेन्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जायें, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो।
परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के, जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।</td></tr>
<tr><td rowspan="3">नियम-15(4) का संशोधन</td><td colspan="2">9- उक्त नियमावली में, विद्यमान नियम-15 में, स्तम्भ-1 मे दिये गये विद्यमान उपखण्ड (4) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-</td></tr>
<tr><td>स्तम्भ-1
विद्यमान नियम</td><td>स्तम्भ-2
एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम</td></tr>
<tr><td>सीधी भर्ती के लिये प्रक्रिया 15(4) - आयोग अभ्यर्थियों की प्रवीणता के क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की सिफारिश करेगा जितने वह नियुक्ति के लिये उचित समझें। यदि एक या अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों का कुल योग बराबर हो तो लिखित परीक्षा में अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या अधिक होगी किन्तु रिक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। आयोग उक्त सूची नियुक्ति</td><td>सीधी भर्ती के लिये प्रक्रिया 15(4) - आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतने अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा जितने वह नियुक्ति के लिए उचित समझे। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर रखा जायेगा।</td></tr>
</table>

http://shasanadesh.up.nic.in

	प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा। टिप्पणी - प्रतियोगिता परीक्षा के लिये पाठ्य-विवरण और नियम ऐसे होंगे जो आयोग द्वारा समय-समय पर सरकार के अनुमोदन से, विहित किये जांय।	आयोग, नियुक्ति प्राधिकारी को सूची अग्रसारित करेगा। टिप्पणी- प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम और नियम ऐसे होंगे जैसा कि समय-समय पर आयोग द्वारा सरकार के अनुमोदन से, विहित किये जांय।
नियम-17 का प्रतिस्थापन	10- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-17 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-	
	स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
	विद्यमान नियम	एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
	संयुक्त चयन सूची 17- यदि नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों ही प्रकार से की जानी हो तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम बारी-बारी से नियम-15 और नियम-16 के अधीन तैयार की गयी सूचियों से लिये जायेंगे, पहला नाम नियम-16 के अधीन तैयार की गयी सूची से लिया जायेगा : परन्तु इस नियम के अधीन संयुक्त चयन सूची तैयार करने में पदोन्नति के लिये चयन किये गये व्यक्तियों के नाम निम्नलिखित क्रम में रखे जायेंगे :- (एक) यात्रीकर अधिकारी/मालकर अधिकारी के पद के लिये - (क) प्रधान सहायक, प्रधान लिपिक को उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के आधार पर यथा अवधारित उनकी परस्पर ज्येष्ठता के क्रम में । (ख) कर अधीक्षक। (ग) यात्रीकर अधीक्षक, मालकर अधीक्षक और सहायक सरकारी अभियोक्ताओं की उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के आधार पर यथा अवधारित ज्येष्ठता के क्रम में। (दो) यात्रीकर अधीक्षक और मालकर अधीक्षक के पदों के लिये - (क) परिवहन आयुक्त के कार्यालय के अनुभाग प्रभारी और आशुलेखकों को उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के आधार पर यथा अवधारित ज्येष्ठता के क्रम में। (ख) उपलेखक प्रालेखक, प्रधान लिपिक और प्रधान लिपिक एवं लेखाकार को उनकी मौलिक नियुक्ति के	**संयुक्त चयन सूची 17-** यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों ही द्वारा की जांय तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें सुसंगत सूची से अभ्यर्थियों के नाम इस प्रकार लिये जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे और सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

	दिनांक के आधार पर यथा अवधारित ज्येष्ठता के क्रम में, और (ग) सम्भागीय कार्यालयों के आशुलेखकों को उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के आधार पर यथा अवधारित ज्येष्ठता के क्रम में।	
नियम-18 का प्रतिस्थापन	11- उक्त नियमावली में, नियम-18 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उप नियम के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिये गये उप नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-	
	स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
	विद्यमान नियम	एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
	नियुक्ति 18-(1) मौलिक रिक्तियां होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को उस क्रम से लेकर, जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम-15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में हों, नियुक्तियां करेगा। (2) नियुक्ति प्राधिकारी, अस्थायी और स्थानापन्न रिक्तियों में भी उप नियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों में नियुक्तियां कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्तियों में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से इस शर्त पर नियुक्तियां कर सकता है कि ऐसी नियुक्ति एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये या अगला चयन किये जाने तक इनमें जो भी पहले हो, की जायेगी।	**नियुक्ति 18-(1)** उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें यथास्थिति, नियम-15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में आये हों, नियुक्तियां करेगा। (2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां, सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हों तो नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम-17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय। (3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जांय तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख उसी ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसा, यथास्थिति, चयन में अवधारित किया गया हो या जैसा कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नति किया गया हो। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जांय तो नामों को नियम-17 में निर्दिष्ट क्रमानुसार रखा जायेगा।
नियम-19 का प्रतिस्थापन	12- उक्त नियमावली में, नियम-19 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उप नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये उप नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-	
	स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
	विद्यमान नियम	एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	परिवीक्षा 19(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रिक्ति या उसके प्रति नियुक्ति किये जाने पर कोई व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा। (2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक की अवधि बढ़ायी जाय। परन्तु अविवादित परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी स्थिति में दो वर्ष की सीमा से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी। (3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों पर पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है। (4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय किसी प्रतिकर का हकदार न होगा। (5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि में संगणना करने के प्रयोजन के लिये गणना करने की अनुमति दे सकता है।	**परिवीक्षा 19(1)** सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर किसी व्यक्ति को समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायेगा। (2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं। (3) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसकी उप नियम (2) के अधीन सेवायें समाप्त की जांय, किसी प्रतिकर का हकदार न होगा। (4) नियुक्ति प्राधिकारी, संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर, स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।
नियम-20 का प्रतिस्थापन	13- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-20 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-	
	स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
	विद्यमान नियम	एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
	स्थायीकरण 20- किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि - (क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो,	**स्थायीकरण 20(1)** - उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि

http://shasanadesh.up.nic.in

	(ख) उसने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और विहित प्रशिक्षण यदि कोई हो, सफलापूर्वक कर लिया हो, (ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी गयी हो, और (घ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।	(क) उसने विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई उत्तीर्ण कर ली हो, (ख) उसे विहित प्रशिक्षण यदि कोई हो, सफलतापूर्वक पूरा, कर लिया हो, (ग) उसका कार्य व आचरण संतोषजनक बताया जाय, (घ) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और (ड़) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि वह स्थायीकरण के लिये अन्यथा उपयुक्त है। (2) जहां उत्तर प्रदेश के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहां इस नियमावली के नियम-5 के उप नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश, कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।
नियम-21 का प्रतिस्थापन	14- उक्त नियमावली में, नियम-21 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उप नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-	
	स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
	विद्यमान नियम	एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
	ज्येष्ठता 21 - सेवा में किसी श्रेणी के पद पर ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्ति किये जायें, तो उस क्रम से, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायेगी : परन्तु - (एक) सेवा में सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो चयन के समय अवधारित की जाय, और (दो) सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पदोन्नति के समय उनके द्वारा घृत मौलिक पद पर रही हो। टिप्पणी-(1) जहां नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय जिससे किसी व्यक्ति की किसी स्पष्ट रिक्ति के प्रति या	**ज्येष्ठता 21 -** सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">किसी स्थायी पद पर परिवीक्षा पर मौलिक रूप से नियुक्ति की जानी हो, वहां उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा। अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।
(2) सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधिमान्य कारण के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारण की विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।</td></tr>
<tr><td>नियम-22 का प्रतिस्थापन</td><td colspan="2">15- उक्त नियमावली में, नियम-22 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-</td></tr>
<tr><td></td><td>स्तम्भ-1</td><td>स्तम्भ-2</td></tr>
<tr><td></td><td>विद्यमान नियम</td><td>एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम</td></tr>
<tr><td></td><td>वेतनमान 22(1) - सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में अस्थायी आधार पर नियुक्ति व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।
(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिये गये है :-
(एक) यात्रीकर/मालकर अधिकारी 450-25-575-द0रो0-30-725-द0रो0-35-900-50-950 रू0।
(दो) कर अधीक्षक 400-15-475-द0रो0-20-575-द0रो0-25-750 रू0।
(तीन) यात्रीकर/मालकर अधीक्षक 350-15-500-द0रो0-20-600-द0रो0-25-700 रू0।</td><td>वेतनमान 22(1) - सेवा में पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।
(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिये गये है :-
<table>
<tr><td>पद का नाम</td><td>पद की संख्या</td><td>वेतनमान</td></tr>
<tr><td>यात्रीकर/ मालकर अधिकारी</td><td>120</td><td>वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 रूपये 44900-142400</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>नियम-24 का निरसन</td><td colspan="2">16- उक्त नियमावली में विद्यमान नियम-24 निकाल दिया गया।</td></tr>
<tr><td>नियम-28 के परिशिष्ट का निरसन</td><td colspan="2">17- उक्त नियमावली में, नियम-28 से विद्यमान परिशिष्ट निकाल दिया गया।</td></tr>
</table>

आज्ञा से,
(आराधना शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-14/2018/638(1)/तीस-3-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 05 मार्च, 2018 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड-(क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित कराने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 300 प्रतियां परिवहन अनुभाग-3 तृतीय तल, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

संख्या-14/2018/638(2)/तीस-3-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-297/2/रूल्स/एस-9/2017-18, दिनांक 25-10-2017 के संदर्भ में।
4- कार्मिक अनुभाग-1/2
5- भाषा अनुभाग-6
6- कार्मिक नियमावली सेल।
7- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 14/2018/638/ XXX-3-2018-06GE/2016, dated: 05 March, 2018

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
TRANSPORT SECTION-3

NOTIFICATION

Miscellaneous
No. 14/2018/638/ XXX-3-2018-06GE/2016
Lucknow: Date 05 March, 2018

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Transport Taxation (Subordinate) Service Rules, 1980.

THE UTTAR PRADESH TRANSPORT TAXATION (SUBORDINATE) SERVICE (FIRST AMENDMENT) RULES, 2018

<table>
<tr><td>Short title and commencement</td><td colspan="2">1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Transport Taxation (Subordinate) Service (First Amendment) Rules, 2018
(2) They shall come into force at once.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Amendment of rule 2</td><td colspan="2">In the Uttar Pradesh Transport Taxation (Subordinate) Service Rules, 1980, hereafter referred to as the said rules, for existing rule 2 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-</td></tr>
<tr><td>COLUMN 1
Existing rule</td><td>COLUMN 2
Rule as hereby substituted</td></tr>
<tr><td>Status of the Service - The Uttar Pradesh Taxation (Subordinate) Service is a subordinate service comprising group "B" and "C" posts.</td><td>Status of Service-Uttar Pradesh Transport Taxation (Subordinate) Service is a service comprising Group “B” posts.</td></tr>
<tr><td>Insertion of New rule, 3(aa), 3(gg) and 3(hh)</td><td colspan="2">In the said rules after rule 3(a), 3(g) and 3(h) the following rule 3(aa), 3(gg) and 3(hh) shall be inserted, namely:-

3(aa) "Act" means, the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act 1994;

3(gg) "Other Backward Classes" of citizens means, the backward classes of citizens specified in scheduled 1 of the Act, as amended from time to time;
3(hh) "substantive appointment" means an appointment, not being and ad-hoc</td></tr>
</table>

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by excutive instructions issued by the Government;</td></tr>
<tr><td>Amendment of rule 4</td><td colspan="2">In the said rules, for existing rule 4 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-</td></tr>
<tr><td></td><td>COLUMN 1
Existing rule</td><td>COLUMN 2
Rule as hereby substituted</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Cadre of Service</td><td>4(1) The strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.</td><td>Cadre of Service 4(1) The strength of the service and posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.</td></tr>
<tr><td>(2) The strength of the service and each category of posts therein shall until orders varying the same are passed under sub-rule (1) be as given in appendix 'A'</td><td>(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall, untill orders varrying the same are passed under subrule (1) be as given below:
<table>
<tr><td rowspan="2">Serial No.</td><td rowspan="2">Name of the Post</td><td colspan="3">Number of Post</td></tr>
<tr><td>Permanent</td><td>Temporary</td><td>Total</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Passenger Tax/ Goods Tax Officer</td><td>120</td><td>_</td><td>120</td></tr>
</table>
Note-The post of Passenger Tax/ Goods Tax Superintendents has been merged in the post of Passenger Tax/ Goods Tax Officer vide Government Order No.1036/thirty-3-11-11GE/11, Dated May 03, 2011 with effect from May 03, 2011.</td></tr>
<tr><td>Provided that :-</td><td>Provided that :-</td></tr>
<tr><td>(i)the appointing authority may leave unfilled or the governor hold in abeyance and vacant post without thereby entitling and person to compensation and;</td><td>(i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or</td></tr>
<tr><td>(ii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts from time to time and he may consider proper.</td><td>(ii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Amendment of rule 5</td><td colspan="2">In the said rules, for existing rule 5 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-</td></tr>
<tr><td></td><td>COLUMN 1
Existing rule</td><td>COLUMN 2
Rule as hereby substituted</td></tr>
</table>

http://shasanadesh.up.nic.in

	5- Source of Recruitment-Recruitment to the Various categories of posts in the service shall be made from the following sources- (i) Passenger Tax, Goods - Tax officer-(1) By direct recruitment through the commission. (ii) By promotion through the commission from amongst- (a) the permanent Tax Superintendent/ Passenger Tax/Goods Tax superintendents who have put in the at least five years of continuous service as such : (b) the permanent Assistant Public Prosecutors who have put in at least five years of continuous service as such; and (c) the permanent Head Assistants, Head Clerks of the Transport Commissioner's Office, who have put in at least five years of continuous service as such : Provided that as for as possible the recruitment shall be so arranged that 50 percent posts in the cadre are held by direct recruits and the rest by promotion as follows- (a) Tax Superintendents/Goods Tax, Superintendents/Passenger Tax Superintendents- 40 percent (b) Assistant Public Prosecutors – 5 percent (c) Head Assistant/Head Clerks in the Transport Commissioner's Office- 5 percent. (2) Tax Superintendents-By promotion through the commission from the amongst the permanent passenger Tax/Goods Tax superintendents. (3) Passenger/ Goods Tax Superintendents- (i) By direct recruitment through the commission.	5-(1) Recruitment to the posts in the service shall be made from the following sources: (i) Fifty percent by direct recruitment through the Commission. (ii) By promotion through the Commission from amongst substantively appointed persons as below;- (A) Twenty percent from Head Quarter (20%) (a) Nineteen percent from amongst Administrative Officers of Head Quarter who have completed two years of service as such on the first day of the year of recruitment. Provided that if in any year of recruitment, sufficient number of Administrative Officer are not available for promotion the field of eligibility may be extended to include such substantively appointed Head Assistants who have completed seven years service on the first day of year of recruitment. (b) One percent from amongst substantively appointed Personal Assistant Grade-1 posted at Head Quarter who have completed two years of service as such on first day of the year of recruitment. (B) From Zonal/Regional/Sub-Regional Offices (30%) (a) Twenty eight percent from amongst Administrative Officers of Zonal offices who have completed two years service as such on first

http://shasanadesh.up.nic.in

	(ii) By promotion through the commission from amongst- (a) the permanent sections - in charges Noter and Drafters and stenographers of Transport Commissioner's Office who have put in at least five years of continuous service as such; and (b) the permanent Head Clerks, Head Clerk -cum accountants and stenographers in the Regional Transport Offices, who have put in at least five years of continuous service as such : provided that, as for as possible, the recruitment shall be so arranged that 50 percent posts in the cadre are held by direct recruits and rest by the promotion as follows - (a) Section in charge and Noter and Drafters- 15 percent (b) Stenographers in Transport Commissioner's Office – 7 percent (c) Head Clerks and Head Clerk-cum-Accountants- 14 percent (d) Stenographers in Regional Offices – 14 percent	day of the year of recruitment. Provided that if in any year of recruitment, sufficient number of Administrative officer are not available for promotion the field of eligibility may be extended to include such substantively appointed Head Assistants who have completed seven years service on the first day of year of recruitment. (b) Two percent from amongst substantively appointed Personal Assistant Grade-1 who have completed two years of service as such on first day of the year of recruitment. (2) If amongst Administrative Officer or Head Assistant, a junior person is included in the field of eligibility his senior shall also be included not withstanding the fact that he himself has not put in the requisite period of service.
Substitution of rule-6	In the said rules, for existing rule-6 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-	
	COLUMN 1 Existing rule	COLUMN 2 Rule as hereby substituted
	6.Reservation- Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the orders of the Government inforce at the time of recruitment.	**6.Reservation-** Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the act, and the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for physically handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Serviceman) Act, 1993 as amended from time to time and the orders of the Government inforce at the time of the recruitment.
Amendment of rule-8	In the said rules, for existing rule-8 set out in column-1 below the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:	

http://shasanadesh.up.nic.in

COLUMN 1 Existing rule	COLUMN 2 Rule as hereby substituted
Academic Qualification-8. A candidate for direct recruitment to the various post in the service must possess a degree from a recognised university and must also possess through knowledge of Hindi Written in Devanagri Script.	**Academic Qualification-**8. A candidate for direct recruitment to the post of Passanger/Goods Tax Officer in the service must possess a Bachelor degree from a University established by Law in India or a qualification recognised by the Government as equivalent therto, and must also possess through knowledge of Hindi Written in Devanagri Script.

Amendment of rule 10	In the said rules, for existing rule 10 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

COLUMN 1 Existing rule	COLUMN 2 Rule as hereby substituted
Age-10- A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 28 years on January the first day of July of the Calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised: Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number or years as may be specified.	**Age-10-** A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 40 years on the first day of July of the Calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised: Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other categories as may be notified by the Government from time to time, shall be more by such number or years as may be specified.

Amendment of rule 15(4)	In the said rules, for existing rule 15 for existing sub clause (4) set out in column 1 below, the clause as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

COLUMN 1 Existing rule	COLUMN 2 Rule as hereby substituted
Procedure for direct recruitment-15. The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by each candidate at the written examination and interview and recommend such number of candidates as they consider fit for appointment. If two or more candidates obtain equal marks in the aggregate the name of the candidate obtained higher marks in the written examination shall be placed higher in the	**Procedure for direct recruitment- 15(4).** The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by each candidate at the written examination and interview and recommend such number of candidates as they consider fit for appointment. If two or more

http://shasanadesh.up.nic.in

list. The number of names in the list shall be larger but not larger by more than a 25 percent of number of vacancies. The commission shall forward the list to the appointing authority. NOTE-The syllabus and rules for competative examination shall be such as may be prescribed by the Commission from time to time with the approval of Government.	candidates obtain equal marks in the aggregate the name of the candidate obtained higher marks in the written examination shall be placed higher on the list. The Commission shall forward the list to the appointing authority. NOTE-The syllabus and rules for competative examination shall be such as may be prescribed by the Commission from time to time with the approval of Government.
Substitution of rule 17	In the said rules, for existing rule 17 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-
COLUMN 1 Existing rule	COLUMN 2 Rule as hereby substituted.
Combined Select List 17-If appointment has to be made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared by taking the names of candidates alternately from the lists prepared under rule 15 and rule 16, the first name being from the list prepared under rule 16: Provided that for preparing combined select list under this rule, the names of persons, selected for promotion shall be arranged in the following order- (i)For the post of passenger tax officers/Goods Tax Officers- (a)Head Assistant/Head Clerks in order of their inter-se seniority as determined on the basis the date of their substantive appointment. (b)Tax Superintendents. (c) Passenger Tax Superintendent, Goods tax Superintendent and Assistant Public Prosecutor in order of seniority as determined on the basis of the date of their substantive appointment. (ii)For the post of passenger tax Superintendent /Good Tax Superintend. (a)Section in Charges and Stenographers of Transport Commissioner's office in order of seniority as determined on the basis of the date of their substantive appointment. (b) Noters and Drafters. Head Clerks and Head Clerk-com-Accountant in order of seniority as determined on the basis of the date of their substantive appointment, and	**Combined Select List 17-**If any year of recruitment appointments are made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared by taking the names of the candidates from the relevant list, in such manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion.

http://shasanadesh.up.nic.in

(c) Stenography in Regional Officers on the basis of seniority as determined on the basis of the date of their substantive appointment.		
Substitution of rule 18	In the said rules, in rule-18 for sub rule (1) set out in column-1 below the subrule as set out in column-2 shall be substituted namely-	
COLUMN 1 Existing rule		COLUMN 2 Rule as hereby substituted
Appointment 18(1). On the occurrence of substitutive vaccancies, the appointing authority shall make appointments by taking candidates in the order in which they stand in the lists prepared under Rules-15, 16 or 17 as the case may be. (2). The appointing authority may make appointments in temporary and officiating vaccancies also from the lists, reffered to the sub rule (1). If no candidate borne on these lists is available, he may make appointments in such vaccancies from persons eligible for appointment under these rules, subject to the condition that such appointment shall not last for more than one year or till next selection whichever be earlier.		**Appointment** 18(1). Subject to the provisions of sub rule(2) the appointing authority shall make appointment by taking the name of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules 15, 16 or 17 as the case may be. (2). Where, in any year of recruitment appointments are to be made both by direct recruitment and by promotion, regular appointments shall not be made unless selection are made from both the sources and a combind list is prepared in accordance with rule-17. (3) If more than one order of appointment are issued in respect of anyone selection a combind order shall also be issued mentioning the names of the person's in order of seniority as determined in the selection, as the case may be as stood in the cadre from which they are promoted. If the appointment are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the order, referred to in rule-17.
Substitution of rule - 19	In the said rules, in rule-19, set out in column-1 below the sub rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-	
COLUMN 1 Existing rule		COLUMN 2 Rule as hereby substituted
19. Probation (1). A person on appointment to a post in the service in or against a substantive vacancy shall be placed on probation for a period of two years.		**19**(1)**. Probation** A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation in accordance with the Uttar Pradesh Government Servents

http://shasanadesh.up.nic.in

(2). The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted: Provided that save in exceptional circumstances the period of probation shall not be extended for more than one year and in no case beyond the limit of two years. (3). If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction on he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with. (4). A probationer, who is reverted, or whose services are dispensed with under sub-rule (3), shall not be entitled to any compensation. (5). The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity on a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.	Probation Rules, 2013, as amended from time to time. (2) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, his services may be dispensed with. (3) A probationer whose services are dispensed with under sub rule-(2) shall not be entitled to any compensation. (4) The appointing authority may allow continous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.
Amendment of rule 20	**In the said rules in rule-20 set out in column-1 below the rule as set out in column-2 shall be substituted namely:**
COLUMN 1 Existing rule	COLUMN 2 Rule as hereby substituted
Confirmation (1). A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation, if- (a). his work and conduct are reported to be satisfactory, (b). he has passed the departmental examination and successfully undergone the prescribed training, if any, (c). his integrity is certified, and, (d). The appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.	**Confirmation 20(1).** Subject to the provision of sub rule(2), a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation, or the extended period of probation if- (a) He has passed the prescribed departmental examination, if any, (b) He has successfully under gone the prescribed training, if any, (c) his work and conduct is reported to be satisfactory, (d) his integrity is certified and (e) the appointing authority is satisfied that

http://shasanadesh.up.nic.in

		he is otherwise fit for confirmation. **(2)** Where, in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh State Government Servents Confirmation Rules, 1991, confirmation is not necessary, the order under sub rule(3) of rule-5 of those rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation shall be deemed to be the order of confirmation.
Substitution of rule 21	In the said rules, in rule 21, for sub-rule (1) setout in column-1 below, the sub rule as setout in column-2 shall be substituted, namely-	
	COLUMN 1 Existing rule	COLUMN 2 Rule as hereby substituted
	Seniority - 21. Seniority in any category of posts in the service shall be determined from the date of order of substantive appointment and if two or more persons are appointed together, from the order in which their names are arranged in the appointment order: Provided that- (i) the inter- se seniority of persons directly appointed to the service shall be the same as determined at the time of selection, and (ii) the inter- se seniority of persons appointed to the service by promotion shall be the same as it was in the substantive post held by them at the time of promotion. Note:-1 Where the appointment order specifies a particular back date with effect from which a person is to be appointed substantively which has to be made on probation against a clear vacancy on a permanent post that date with he deemed to be the date of order of substantive appointment. In other case it will mean the date of issue of the order. Note:-2 A Candidate recruited directly may lose his seniority if he fails to join without any valid reason when a vacancy is offered to him. The decision of the appointing authority as to validity of the reason will be final.	**Seniority - 21.** The seniority of persons substantively appointed on the post to the service shall be determined in accordance with the **"Uttar Pradesh Government Servant Seniority Rules, 1991** as amended from time to time.
Amendment of rule 22	In the said rules, in rule 22, for set out in column-1 below, the sub rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-	

http://shasanadesh.up.nic.in

<table>
<tr><th>COLUMN 1
Existing rule</th><th>COLUMN 2
Rule as hereby substituted</th></tr>
<tr><td>Scales of Pay 22(1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the services, whether in a substantive or officiating capacity, or as a temporary measure, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are given as follows:

Names of the Post Scale of Pay-

(1) Passenger Tax/Goods Tax Officers
Rs. 450-25-575-E.B.-30-725-EB-35-900-50-950

(2) Tax Superintendents
Rs. 400-15-475-E.B.-20-575 -E.B. -25-750

(3) Passenger Tax/Goods Tax Superintendents;
Rs. 350-15-500-EB-20-600-EB.-25-700</td><td>Scales of Pay 22(1) The scales of pay admissible to person's appointed to the posts in the service shall be such as may be determined by the government from time to time.

(2) The scale of pay at the time of commencement of these rules are given as follows:

<table><tr><th>Name of post</th><th>No. of post</th><th>Scale of pay</th></tr><tr><td>Passenger Tax/Goods Tax Officer</td><td>120</td><td>Pay matrix lavel-7
Rs. 44900-142400</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Omission of rule-24</td><td>In the said rules existing rule-24 shall be omitted.</td></tr>
<tr><td>Omission of the Appendix from rule-28</td><td>In the said rules existing appendix from rule-28 shall be omitted.</td></tr>
</table>

By Order,

(Aradhana Shukla)
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।